कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 40/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 07/2020

प्रेस नोट

थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 0668/2020 धारा 384/506/509 भादवि व 67(A) आई0टी0 एक्ट थाना कैण्ट वाराणसी में वांछित अभियुक्त दिव्य कुमार शुक्ला उर्फ अतुल शुक्ला गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद वाराणसी, पुलिस अधीक्षक नगर व अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी कैण्ट के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 06.09.2020 को थाना लंका पुलिस द्वारा मुखबिर की सहायता से मु0अ0सं0 0668/2020 धारा 384/506/509 भादवि व 67(A) आई0टी0 एक्ट में वांछित अभियुक्त दिव्य कुमार शुक्ला उर्फ अतुल शुक्ला (उम्र-30 वर्ष) पुत्र स्व0 उमा शंकर शुक्ला निवासी- सदर बाजार, करनैलगंज, गोण्डा को समय 18.45 बजे दैत्राबीर बाबा मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैण्ट पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछ-

कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त दिव्य कुमार शुक्ला उर्फ अतुल शुक्ला पुत्र स्व0 उमाशंकर शुक्ला निवासी सदर बाजार थाना करनैलगंज जिला गोण्डा ने बताया कि मेरे पास से बरामद सैमसंग स्मार्टफोन से मैं व्हाट्सएप व फेसबुक आदि चलाता हूँ तथा कीपैड मोबाईल से बातचीत किया करता हूँ। वादिनी मुकदमा का मोबाईल नं0 मुझे फेसबुक से मिल गया था। जिसे मैने अपने मोबाईल में बीआरबी एडी कैश गुजरात के नाम से सेव किया हूँ। उक्त महिला के व्हाट्सएप प्रोफाईल पर लगी फोटो को मैनें डाउनलोड कर अपने पास रख लिया। अपने उक्त स्मार्टफोन से ही मैं उक्त महिला के व्हाट्सएप व फेसबुक मैसेंजर पर अश्लील फोटो व वीडियो भेजता था तथा अश्लील चैटिंग भी करता था। अपने दूसरे मोबाईल से मैं उनसे बात किया करता था। बात करते-करते एक दिन मैने उक्त महिला को बताया कि तुम्हारा फोटो मेरे पास है। मेरे खाता सं0 2981359355 सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया में 10000 रुपये जमा करा दो नही तो मै तुम्हारी फोटो को अश्लील बनाकर वायरल कर दूँगा। जिसके बाद उक्त महिला ने दिनांक 29/08/2019 को मेरे खाते में 10000 रुपये भेज दिया। तब मेरे मन में लालच आ गया और मैने उक्त महिला से और ज्यादा रुपये लेने के लिये कहा कि मैं दिनांक 06/09/2020 को रुपये लेने बनारस आऊंगा तुम मुझे 50,000 रुपये और दो नही तो मैं तुम्हारी फोटो को अश्लील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। आज मैं वही रुपये लेने बनारस आया था कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- दिव्य कुमार शुक्ला उर्फ अतुल शुक्ला पुत्र स्व0 उमा शंकर शुक्ला निवासी-सदर बाजार, करनैलगंज ,गोण्डा उम्र 30 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- दो अदद मोबाईल सैमसंग कम्पनी।
- एक अदद आधार कार्ड।
- चार अदद सिम।

<u>*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-*</u>

- प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह, का0 अश्वनी सिंह व का0 मनीष बघेल थाना कैण्ट वाराणसी।

(पी0आर0सेल)
जनपद वाराणसी

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 41/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 07/2020

प्रेस नोट

दिनांक 06.09.2020 को थाना सारनाथ पुलिस देखभाल क्षेत्र व चेकिंग व्यक्ति/वाहन में पहड़िया चौराहे पर मौजूद थी तभी पिकप वाहन जो बेला रोड से पहड़िया चौराहे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया, को रोकने का इशारा किया गया जिसके बाद चालक तथा उसमें बैठे एक व्यक्ति ने पिकप रोककर भागने की कोशिश की। उक्त पिकप चालक को आवश्यक बल प्रयोग कर मौके से ही पकड़ लिया गया परन्तु साथ की सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति भीड़-भाड़ अधिक होने के कारण भाग गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम व पता पूछा गया तो चालक ने अपना नाम अब्दुला कुरैशी पुत्र अन्सार कुरैशी निवासी म0नं0 जे 126/96 अलईपुर थाना जैतपुरा वाराणसी उम्र करीब 28 वर्ष बताया। पिकप बिना नम्बर के डाला को चेक किया गया तो पिकप में 15 राशि पड़वा बरामद हुए। इन सभी को क्रूरता पूर्वक पिकप में लादा गया था। भागे हुए व्यक्ति के विषय में चालक से पूछने पर उसका नाम गुलशेर पुत्र अज्ञात निवासी अलईपुरा थाना जैतपुरा वाराणसी बताया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना सारनाथ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0515/2020 धारा 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- अब्दुला कुरैशी पुत्र अन्सार कुरैशी निवासी-म0नं0 जे-126/96 अलईपुर, थाना जैतपुरा, वाराणसी उम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- 15 राशि पड़वा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 मिथिलेश कुमार, का0 राजेश कुमार पाण्डेय व का0 सचिन कुमार थाना सारनाथ वाराणसी।

(पी0आर0सेल)
जनपद वाराणसी

राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी
एस.एस.आई.

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 42/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 07/2020

प्रेस नोट

दिनांक 07.09.2020 को थाना सिगरा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 391/2020 धारा 324/504/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त पांचू बिन्द उम्र 28 वर्ष पुत्र गनेशू बिन्द निवासी गांधी चबूतरा भैंसासुर थाना सिगरा जिला वाराणसी को सन्त रघुवर नगर साई मन्दिर के पास से समय करीब 11.00 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त पांचू बिन्द उपरोक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद अस्त्र बांका बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा अग्रिम विदिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- पांचू बिन्द उम्र 28 वर्ष पुत्र गनेशू बिन्द निवासी गांधी चबूतरा भैंसासुर थाना सिगरा जिला वाराणसी।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक अदद अस्त्र बांका

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 रामनरेश यादव चौकी प्रभारी नगर निगम, उ0नि0 अमित गोस्वामी, का0 रोशन कुमार व का0 दिनेश कुमार कन्नौजिया थाना सिगरा जनपद वाराणसी।

(पी0आर0सेल)
जनपद वाराणसी

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 43/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 07/2020

प्रेस नोट

थाना रोहनियाँ पुलिस द्वारा आज दिनांक 07.09.2020 को मु0अ0सं0 358/2020 धारा 379,411 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्त अनीश चौहान व प्रकाश पटेल गिरफ्तार, कब्जे से केबिल तार वजन करीब 20 किलोग्राम बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद वाराणसी द्वारा संदिग्ध वाहन व व्यक्तियों की चेकिंग तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी सदर के दिशा निर्देशन में थाना रोहनियां पुलिस द्वारा मुखबिर की सहायता से मु0अ0सं0 358/2020 धारा 379,411 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्तगण (1) अनीश चौहान उम्र करीब 22 पुत्र सिद्धि चौहान वर्ष निवासी ग्राम व्यासनगर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली (2) प्रकाश पटेल उम्र करीब 19 वर्ष पुत्र कन्हैया पटेल निवासी व्यासनगर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली को करनाडाडी ओवर ब्रिज के पास से समय करीब 12.10 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना रोहनियां पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- अनीश चौहान उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र सिद्धि चौहान निवासी ग्राम व्यासनगर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।
- प्रकाश पटेल उम्र करीब 19 वर्ष पुत्र कन्हैया पटेल निवासी व्यासनगर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

बरामदगी का विवरण-

- केबिल तार ताँबे की वजन करीब 20 किलो ग्राम

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 घनश्याम गुप्ता, उ0नि0 इमरान खान, का0 आकाश संस्कृतयायन व का0 विश्वजीत पाण्डेय थाना रोहनियाँ जनपद वाराणसी।

(पी0आर0सेल)
जनपद वाराणसी

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 43/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 07/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 07.09.2020 को थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 158/2020 धारा-363,366,504,506 भा0द0वि0 व 16/17 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त रमजान अली गिरफ्तार, अपहृता बरामद।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा चलाये जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी चेतगंज के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 07.09.2020 को थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अलईपुरा सिटी स्टेशन के पास से मु0अ0सं0 158/2020 धारा-363,366,504,506 भा0द0वि0 व 16/17 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त रमजान अली पुत्र अब्दुल सुलेमान उर्फ पप्पू निवासी ए-35/49 जलालीपुरा थाना जैतपुरा वाराणसी उम्र-19 वर्ष को समय 10.45 बजे गिरफ्तार कर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अपहृता को बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- रमजान अली पुत्र अब्दुल सुलेमान उर्फ पप्पू निवासी ए-35/49 जलालीपुरा थाना जैतपुरा वाराणसी उम्र-19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- एक अपहृता।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 मो0 अकरम चौकी प्रभारी चौकी-सरैया, हे0का0 राकेश राय, हे0का0 धर्मेन्द्र चतुर्वेदी व म0आरक्षी शीला सिंह थाना जैतपुरा वाराणसी।

(पी0आर0सेल)
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 44/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 07/2020

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में लॉकडाऊन के आदेश के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, गैर जरुरी तौर से होटल/गेस्ट हाऊस/दुकानें खुली रखने वाले संचालकों, कालाबाजारी करने वालों व लॉकडाउन से सम्बन्धित नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 07-09-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *कुल 55 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *164 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों, 14 बार्डर प्वाइंट व 49 पुलिस नाकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 1586 वाहनों का चालान, 16 वाहनों को सीज तथा 525 वाहनों से रु0-3,96,400/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

जनपद वाराणसी में लॉकडाऊन के आदेश के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेशानुसार आज दिनांक 07-09-2020 को जनपद वाराणसी लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले तथा बिना मास्क पहने घूम रहे व्यक्तियों के विरूद्ध अभियान चलाकर बिना मास्क धारण किये *कुल 1629 व्यक्तियों से रु0-97,300/- जुर्माना* जमा कराया गया।

(पी0आर0सेल)
जनपद वाराणसी